

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

जगदीश कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

महालखाकार (ले० एवं ह०)
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक :

विषय- डा० सकलदीप चौधरी, सेवा निवृत्त, अपर निदेशक(मुख्यालय), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को 300(तीन सौ) दिनों का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति ।

आदेश- वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 8889 (2) वि० दिनांक 24.12.1986, पत्रांक 1829 वि० (2) दिनांक 07.04.2005 एवं महालेखाकार, बिहार पटना के पत्रांक LR050920180200153 दिनांक 0073/2018-19 के आलोक में डा० सकलदीप चौधरी, सेवा निवृत्त, अपर निदेशक (मुख्यालय), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को 300(तीन सौ) दिनों का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

- 2) इसमें विभागीय कार्यालय आदेश सं०-888(5) दिनांक 11.07.2018 के द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति के तहत संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।
- 3) डा० सकलदीप चौधरी के सेवा निवृत्ति की तिथि 31.08.2018 है ।
- 4) महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि अपने स्तर पर डा० सकलदीप चौधरी के सभी तरह का बाकी/बेबाकी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर पूर्णतः संतुष्ट हो लेने के उपरान्त ही प्राधिकार पत्र निर्गत करेंगे ।

विश्वासभाजन,

ह० / -

(जगदीश कुमार)

ज्ञापांक : 3/पेन-01-30/2018-

35(3)

/स्वा०, पटना, दिनांक 10/01/19

प्रतिलिपि: निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: डा० सकलदीप चौधरी, सेवा निवृत्त, अपर निदेशक (मुख्यालय), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना । पत्राचार पता-फ्लैट नं०-ए/302, राजाराम मोहन राम कम्पलेक्स, रोड नं०-11, अशोक नगर, कंकड़बाग, पो०-लोहियानगर, पटना-800020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,3,8 एवं 9 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी